न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 90/2021

निर्णय दिनांकः 21.9.2021

राजूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर वास हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– वादी –

बनाम

1.गिरधारीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर वास हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

2.स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादी
2. श्री अजय दर्जी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
2. पैरोकाराज स्टेट की और से

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह वाद राजूराम ने जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों सगे भाई हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर रोही मौजा इंदपालसर हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। वादी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 5.09 हैक्टेयर वाकेरोही इंदपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का परिवार काफी बड़ा हैं, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार में समस्त भाईयों के मध्य पारिवारिक विभाजन करके पूर्व में कृषि भूमियों का आपसी विनमय द्वारा बराबर–बराबर हिस्सा आदान–प्रदान करके खातेदारी खेतो का बंटवारा कर लिया गया हैं। पारिवारिक विभाजन के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 5.09 हैक्टेयर रोही मौजा इंदपालसर सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जो वादी के नाम से हैं, उक्त खेत प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा पांती में आया हुआ हैं, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ही कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर वाकेरोही इंदपालसर हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित हैं, उक्त खेत पारिवारिक विभाजन के मुताबिक वादी के हिस्सा पांती में आया हुआ हैं। उक्त खेत को शुरू से ही वादी कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग लेता चला आ रहा हैं।यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 57 ... जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा हैं। यानि उक्त खेत में 7.07 हैक्टेयर भूमि वादी के व 7.07 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी रजामंदी से दिनांक 10.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2021.09.16 17:13:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर

उपस्थित होकर उपरोक्त खेतो का आपसी विनमय द्वारा खातेदारी अदला–बदली करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की बात मानने से इन्कार कर दिया। यह है कि वादी अपने खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 5.09 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 अपनी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर में से अपना 1/2 अर्थात 7.07 हैक्टेयर भूमि वादी के पक्ष में छोड़कर विनमय करना चाहता हैं। परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त खेतो के विनमय करने से दिनांक 10.09.2021 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास वादगत खेतो के विनमय की घोषणात्मक के अनुतोष का दावा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य विकल्प नही बचा हैं। इसलिए वादी द्वारा उक्त घोषणात्क का दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यह है कि वादी का वास्तविक नाम राजूराम है, जबकि परिवार में बोलता नाम राजमल हैं। वादी के शिक्षा संबंधि समस्त दस्तावेजो में व आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम राजूराम अंकित हैं। वादी ने वादगत खेतो में अपना राजमल के वजाय राजूराम अंकित करने का निवेदन प्रतिवादी संख्या 2 से किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बिना नाम का परिवर्तन नही कर सकते हैं यह कहकर इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के अनुतोष हेतु उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यह है कि वादगत खेत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का खेत हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने वादगत खेतो का विनमय करने से दिनांक 10.09.2021 को इन्कार कर दिया हैं। वादगत खेत वादी की खातेदारी कब्जा उपयोग व उपभोग के होने से वादाधार व इन्कारी की दिनांक से वादहेतु प्राप्त हैं। यह है कि वादी ने उक्त दावा घोषणात्मक अनुतोष चाहा हैं। घोषणात्मक अनुतोष के दावा को प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। परन्तु दावा अत्यन्त ही अमर्जेन्सी का इसलिए दावा दायरी से पूर्व 80 (2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छुट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। यह है कि वादगत खेत रोही मौजा इंदपालसर हीरावतान व सांखलान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। इसलिए दावा मान्य् न्यायालय श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का हैं। यह है कि दावा पर्याप्त कोर्ट फीस पर अन्दर मिंयाद प्रस्तुत हैं। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी का दावा निम्नलिखित प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावें :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:54 IST
Reason: SelfAttested

(क) कि वादी के नाम खेत खसरा नम्बर [illegible] 5.09 हैक्टेयर रोही मौजा इंदपालसर सांखलान [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर रोही मौजा इंद[illegible]र हीरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा यानि 7.07 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम डिलिट कर सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(ख) कि घोषित किया जावें वादी का वास्तविक नाम राजूराम है, जबकि परिवार में बोलता नाम राजमल हैं। वादी के शिक्षा संबंधि समस्त दस्तावेजो में व आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम राजूराम अंकित हैं। वादी ने वादगत खेतो के राजस्व रिकार्ड में राजमल के स्थान पर राजूराम अंकित किया जावें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित आज्ञा जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाई जावें। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी का वाद स्वीकार करने में आपति नही होने के कारण वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

वादी के नाम खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 5.09 हैक्टेयर रोही इंदपालसर सांखालान तहसील श्रीडूंगरगढ को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर रोही इंदपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा (7.07 हैक्टयर) भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में डिलिट किया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वादी राजूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर बास हीरावतान का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम राजमल के स्थान पर राजूराम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ प्रतिवादी द्वारा वादी को अधिक दिये गये हिस्से (1.98 हैक्टेयर) पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक.......... [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय [illegible] रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस श्रीडूंगरगढ

उनवान

राजूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर बास हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

1. गिरधारीलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर बास हिरावताना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 90/2021

निर्णय दिनांकः 29.9.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री अजय दर्जी अधिवक्ता प्रतिवावदी संख्या 1 व पैरोकार राज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के नाम खेत खसरा नम्बर 238 तादादी 5.09 हैक्टेयर रोही इंदपालसर सांखालान तहसील श्रीडूंगरगढ को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावं। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 57 तादादी 14.14 हैक्टेयर रोही इंदपालसर हिरावतान तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा (7.07 हैक्टयर) भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलिट किया जाकर सम्पूर्ण भूमि वादी के नाम घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा वादी राजूराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी इंदपालसर बास हीरावतान का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम राजमल के स्थान पर राजूराम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ प्रतिवादी द्वारा वादी को अधिक दिये गये हिस्से (1.98 हैक्टेयर) पर नियमानुसार परित्याग पत्र पर स्टाम्प शुल्क वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी......को [illegible]

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर [illegible] सन् 2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:54 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ